

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

४ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ४
सोमवार, 16 दिसम्बर, 1994/23, अग्रहायण, 1916 ४शक४

संख्या. 142

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, उत्तर पश्चिम जिला, दिल्ली का दिनांक 16.12.1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 16.12.1994 को प्राप्त हुआ था ।

"कि श्री जय भगवान, विधायक को उनके अन्य संपर्कों सहित दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली स्थित दि0वि0प्रा0 कार्यालय के सामने दिनांक 16.12.1994 को पूर्वाह्न 10.05 बजे नज़रबन्द किया गया था । उन्हें थाना रोहिणी में ले जाया गया था और तत्पश्चात् थाना अशोक विहार में स्थानान्तरित किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 16.12.94 अपराह्न 2.30 बजे थाना अशोक विहार से रिहा किया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, December 19, 1994/Agrahayana 26, 1916 (Saka)

No.142

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated 16.12.1994 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commission of Police, North West District, Delhi was received on 16.12.1994.

"That Shri Jai Bhagwan, MLA, alongwith his other supporters was detained at 10.05 AM on 16.12.1994 from opposite DDA office, Sector-3, Rohini, Delhi under section 65 of Delhi Police Act, 1978. He was moved to P.S. Rohini and then shifted to P.S. Ashok Vihar.

He was released at 2.30 PM, the same day i.e. 16.12.94 from P.S. Ashok Vihar."

P.N. GUPTA
SECRETARY